01 96/66

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत नवस्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 तक के नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल–1800 पदों के सृजन की स्वीकृति।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों यथा– प्रधानाध्यापक के 40, विद्यालय अध्यापक(कक्षा 11–12) के 760, विद्यालय अध्यापक(कक्षा 6–10) के 360 एवं विद्यालय अध्यापक(कक्षा 1–5) के 280 तथा गैर शैक्षणिक के कुल 360 पदों अर्थात कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति के सबंध में।

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

5/60

(2

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल बैकुण्ठपुर, जिला–गोपालगंज में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹65,80,11,000/–(पैंसठ करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या–1165 दिनांक–28.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष–2022–23 से वर्ष 2025–26 तक की अवधि में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों, जहाँ डॉ0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति शेष है, में डॉ0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 28 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

।। प्रेस नोट।।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत दो (02) नये प्रशाखा यथा–सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रशाखा तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन एवं कुल 25 (पचीस) पदों के सृजन से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के क्रियाकलापों में गतिशीलता लाने, विभाग एवं संलग्न कार्यालयों के स्थापना, लेखा एवं बजट से संबंधित सभी कार्यों का सुचारू रूप से संपादन, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अनुपालन तथा राज्य अंतर्गत कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास संबंधी कार्यों का सुगम संचालन किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

(4)

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

भूमि संरक्षण निदेशालय (कृषि विभाग) बिहार, पटना के लिए स्वीकृत सांख्यिकी सहायक का 01 पद एवं कनीय अभियंता का 46 पद कुल 47 पदों की प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गयी।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

1/खेल 1–28/2024 (पार्ट)

5

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। **प्रेस नोट** ।।

पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल अवसंरचना निर्माण हेतु पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु कुल ₹5,74,33,90,125/– (पाँच सौ चौहत्तर करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार एक सौ पच्चीस रूपये) मात्र के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है तथा खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। खेल अवसंरचना के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढेगी और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल अवसंरचना के निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में व्यापक सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

पटना में गंगा नदी के किनारे 'जे०पी० गंगा पथ' (दीघा से दीदारगंज, कुल लंबाई 20.5 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹411906.00 लाख (चार हजार एक सौ उन्नीस करोड़ छः लाख) मात्र के अनुमानित लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से आमजनों को सुलभ सम्पर्कता तथा आवागमन स्थापित हो सकेगी, विकास में वृद्धि होगी।

23.08.21

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-III (Phase-2) के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–95 (मानसी–सहरसा –हरदी–चौधरा) पथ के मानसी–फन्गो हॉल्ट मिसिंग लिंक पथांश (सेक्शन–1) के चैनेज कि0मी0 0.00 से 14.11 में पुल–पुलिया एवं आर॰ओ॰बी॰ निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क (2–लेन पेभड सोल्डर) के साथ उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 513.7358 करोड़ को पुनरीक्षित करते हुए कुल 765.8656079 करोड़ (सात सौ पैंसठ करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार उनासी) रूपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से आमजनों को सुलभ सम्पर्कता तथा आवागमन स्थापित हो सकेगी, विकास में वृद्धि होगी।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-III (Phase-2) के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–95 (मानसी – सहरसा – हरदी–चौधरा) पथ के फन्गो हॉल्ट से NH-107 सिमरी–बख्तियारपुर तक के चैनेज कि0मी0 14.11 से 28.075 में पुल / पुलिया एवं आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क (2–लेन Paved Shoulder) के साथ पथ का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 147.9168 करोड़ को पुनरीक्षित करते हुए कुल 213.5536807 करोड़ (दो सौ तेरह करोड़ पचपन लाख छत्तीस हजार आठ सौ सात) रूपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से आमजनों को सुलभ सम्पर्कता तथा आवागमन स्थापित हो सकेगी, विकास में वृद्धि होगी।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(66)

9

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (ई.–अपशिष्ट) के समुचित प्रबंधन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ई.–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली अधिसूचित की गयी है। ई.–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 के तहत बिजली एवं इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के ई–कचरे का वैधानिक हथालन एवं निस्तारण हेतु निलामी प्रक्रिया एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई–निलामी द्वारा करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(हरजोत कौर बम्हरा)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन एवं योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति की कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 2,31,67,00,000/– (रु0 दो सौ इकतीस करोड़ सरसठ लाख) मात्र की स्वीकृति, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 से आच्छादित किये जाने एवं उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं0–673, दिनांक–23.03.2023 के संशोधन की स्वीकृति।

PM-YASASVI अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर ही छात्रवृत्ति अनुमान्य की जायेगी एवं केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 के तहत आच्छादित किया जायेगा।

25/08/25
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
प्रधान सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

5/70 11

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन, योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय–समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने, कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 55,50,00,000/– (रु0 पचपन करोड़ पचास लाख) मात्र, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं0–67, दिनांक–10.01.2023 के संशोधन की स्वीकृति।

PM-YASASVI अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अधिकतम छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर ही छात्रवृत्ति अनुमान्य की जायेगी एवं PM-YASASVI अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित किया जायेगा।

25/08/25

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
प्रधान सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

D:\Puja Sinha 2024\Sanlekh Cabinet\PM YASASVI- Pre Matric.docx(m)

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेस नोट

520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, महुआर, बिहटा, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 58,07,20,000/- (रू0 अंठावन करोड़ सात लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

पटना जिलान्तर्गत बिहटा में 520 आवासनवाले क्षमता का एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण किये जाने के फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कुल 520 प्रतिभावान छात्राओं को कक्षा-6 से 12 तक निःशुल्क आवासन, भोजन, पाठ्य सामग्री आदि सहित शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।

25/08/25

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
प्रधान सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

D:\Puja Sinha 2024\Sanlekh Cabinet\Bihta,Patna OBC School.docx(m)

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेस नोट

सारण जिलान्तर्गत 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–55 दिनांक–28.12.2017 के द्वारा प्राक्कलन राशि रू0 25,64,00,000/– (रु0 पचीस करोड़ चौसठ लाख) तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–62 दिनांक–18.08.2022 के द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रू0 50,36,51,000/– (रु0 पचास करोड़ छतीस लाख इक्यावन हजार) मात्र पर दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से नये सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन रू० 61,20,34,000/–(रू0 इक्सठ करोड़ बीस लाख चौंतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

सारण जिलान्तर्गत 520 आवासनवाले क्षमता का एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण किये जाने के फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कुल 520 प्रतिभावान छात्राओं को कक्षा–6 से 12 तक निःशुल्क आवासन, भोजन, पाठ्य सामग्री आदि सहित शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।

25/08/25

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
प्रधान सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

(14)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के शेष 03 गैलरियों यथा–सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स, कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131 (द) के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रैंडिंग साईनेज हेतु स्वीकृत ₹5.05 करोड़ के अधीन कार्य कराने हेतु अलग से निविदा आमंत्रित करने के संबंध में।

(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

15

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

बिहार सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का पटना से बाहर बिहार के अन्य जिलों में पदस्थापन होने पर कतिपय शर्त्तों के साथ बहुमंजलीय आवासीय परिसर में अल्प अवधि के लिए आवास आवंटित किये जाने हेतु सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 के नियम 11(2)(4) को संशोधित करते हुए कंडिका (ङ) को अंतःस्थापित किया गया है।

2/4/15

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेस नोट

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत औद्योगिक ईकाईयों की उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित आई0डी0ए0/बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि एवं उक्त कोटि में औद्योगिक भूमि/शेड के लीज/बिक्री/अंतरण पर देय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट की अवधि को नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित होने तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इससे राज्य में उद्योग स्थापित करने के प्रति व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे नये उद्योग स्थापित होंगे। नये उद्योग स्थापित होने से राज्य के विकास के साथ–साथ राज्य की जनता को रोजगार का अवसर मिलेगा।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

प्रेस नोट

नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूसन (डीडीई) सेवा राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित किया जायेगा।

डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूसन (डीडीई) सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई–बीजी) एवं वित्तीय ऋणदाता (बैंक/एनबीएफसी) द्वारा निष्पादित किये जाने वाले गैर निबंधित दस्तावेज ऋण एकरारनामा में प्रभार्य होने वाले ई–स्टाम्प की राशि का संग्रहण डिजिटल प्रणाली से किया जायेगा।

यह सुविधा 24X7 उपलब्ध होगी। इसका मुख्य लाभ यह है कि बैंक गारंटी जारी करने और लाभार्थी को प्राप्त होने में कम समय लगेगा। इसमें कागजी कार्रवाई एवं भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नही होगी एवं लेन–देन का विवरण वास्तविक समय में प्राप्त होगा।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

प्रेस नोट

योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 बनाने का निर्णय लिया गया है।

इसके फलस्वरूप जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य के सरलीकरण के तहत जनहित में विलम्बित फीस में संशोधन करते हुए कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत ससमय इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रमाण–पत्र निर्गत होने से आम नागरिकों को सुविधा होगी।

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत अंचल–पुनपुन के मौजा– धरहरा, थाना सं0–41, एवं मौजा–पोठही, थाना सं0–42, के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–38.77 एकड़ कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वामित्व की भूमि पर बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग, बिहार पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :— अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20

प्रेस नोट

राज्य में राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने वाले राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों की सेवा शर्त्तों में सुधार, वरीयता एवं आरक्षण रोस्टर के केन्द्रीकृत निर्धारण, संधारण व स्थानांतरण के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हुए इनकी कार्यदक्षता में वृद्धि करने तथा संवर्गीय कर्मियों पर राज्य के प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्त्तमान में संसूचित बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की समीक्षा के क्रम में यह महसूस हुआ कि उक्त नियमावली के प्रावधानों में कतिपय संशोधन करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 प्रवृत्त होने के उपरान्त इस संवर्ग को जिलास्तरीय से राज्यस्तरीय में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि कर्मियों की वरीयता एवं आरक्षण रोस्टर केन्द्रीकृत रूप से राज्य स्तर पर संधारित हो सके तथा अन्तर्जिला स्थानान्तरण की स्थिति में इनकी पारस्परिक वरीयता अक्षुण्ण रहे।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :–अपर मुख्य सचिव

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम-39) के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों के निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल विधिक सेवा समिति तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना मे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है।

उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में जन उपयोगी सेवाएँ एवं अन्य मामलों में आपसी सुलह के आधार पर वादों के निपटारा हेतु स्थायी लोक अदालत/चलंत लोक अदालत की स्थापना की गयी है।

उपर्युक्त वर्णित संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों (गैर-न्यायिक) एवं कर्मचारियों का पूर्व से भर्ती एवं सेवाशर्त्त से संबंधित नियमावली नहीं होने के कारण **"बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2025"** अधिसूचित करने की आवश्यकता है।

अतः उक्त के आलोक में **"बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2025** "के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अपेक्षित है।

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

C:\Users\HD\Desktop\Janchpatra-Press Note.Doc

22

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेस नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना में बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों के पुनर्गठन एवं उक्त आलोक में गठित प्रशाखाओं/कोषांगों के अनुरूप अनुसचिवीय कोटि के स्वीकृत पद नहीं होने के कारण अनुसचिवीय कोटि के पदों के सृजन की आवश्यकता है।

उक्त आलोक में विधि विभाग, बिहार, पटना एवं संलग्न कार्यालयों (महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर) के अनुसचिवीय कोटि के कुल 34 (चौंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की सहमति अपेक्षित है। इन पदों के सृजन के फलस्वरूप इनके स्थापना व्यय के रूप में प्रतिवर्ष कुल रू0 1,61,46,900/– (एक करोड़ एकसठ लाख छियालीस हजार नौ सौ रूपये) मात्र अनुमानित व्यय भारित होगा।

इसके फलस्वरूप विधि विभाग, बिहार, पटना एवं संलग्न कार्यालयों के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा।

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\purnima\Mamta ji\post creation\mantri prisad ki swikriti\press note.doc1.doc

बिहार सरकार
विधि विभाग

।। प्रेस नोट।।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में राज्य से उद्भूत माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी रिर्पोटेबुल निर्णय का राज्य के राजभाषा में अनुवाद किया जाना है। राज्य से उद्भूत माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी रिर्पोटेबुल निर्णय का राज्य के राजभाषा में अनुवाद किये जाने का कार्य विस्तृत एवं दीर्घकालीन प्रकृति का है।

उक्त आलोक में 'सुवास सेल' हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 02 पद, आशुलिपिक के 03 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर–सह–टंकक के 04 पद, कार्यालय परिचारी के 04 पद तथा स्वीपर के 02 पद अर्थात् कुल 15 पदों के सृजन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अपेक्षित है।

इसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय, पटना के न्यायिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा तथा आम जन को त्वरित न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा।

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

(24)

प्रेस नोट
वित्त विभाग

आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रु० 25,000/-, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति दी जाती है।

25.8.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

3A\LF 25\Sanlekh\press note

प्रेस नोट
वित्त विभाग

बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना (क्रमशः वेतनस्तर–4 एवं वेतनस्तर–5) की स्वीकृति दी जाती है।

25.8.25
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विभाग का नामः- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

प्रेस नोट

अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित/प्रभावितों को राहत दिये जाने, भारत सरकार से केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि के ससमय व्यय एवं अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्ति तथा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित महत्वपूर्ण योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु निधि की उपलब्धता के निमित्त बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय को वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि में 30 मार्च, 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹12675.80 करोड़ (बारह हजार छह सौ पचहत्तर करोड़ अस्सी लाख रुपये) करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

27

"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2019 (डिग्री) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली–2020 गठित की गई है।

उक्त नियमावली में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के शिक्षकों का सेवा संपुष्टि किये जाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण बिना सेवा संपुष्टि के प्रोन्नति प्रदान किया जाना समीचीन नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सेवा के शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने एवं सेवा संपुष्ट किये जाने हेतु बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम क्रमशः नियम–9 की उप नियम–4 का प्रतिस्थापन एवं नियम–10 प्रतिस्थापन तथा नियम–9 में उप नियम–(5), (6) एवं (7) को जोड़े जाने के निमित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

तदालोक में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम–9 की उप नियम–(4) का प्रतिस्थापन तथा नियम–9 में उप नियम–(5), (6) एवं (7) जोड़े जाने के निमित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव।

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2019 (डिप्लोमा) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2020 गठित की गई है।

उक्त नियमावली में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के शिक्षकों का सेवा संपुष्टि किये जाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण बिना सेवा संपुष्टि के प्रोन्नति प्रदान किया जाना समीचीन नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सेवा के शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने एवं सेवा संपुष्ट किये जाने हेतु बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम–9 की उप नियम–(3) एवं नियम–10 का प्रतिस्थापन तथा नियम–9 में उप नियम–(4), (5) एवं (6) को जोड़े जाने के निमित बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

तदालोक में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के नियम–9 की उप नियम–(3) एवं नियम–10 का प्रतिस्थापन तथा नियम–9 में उप नियम–(4), (5) एवं (6) को जोड़े जाने के निमित बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव।

5/70

29

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (AICTE) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 में कतिपय नये तकनीकी पाठ्यक्रम/संकाय में पठन–पाठन प्रारंभ, प्रति वर्ष छात्र–छात्राओं के प्रवेश क्षमता में वृद्धि एवं कतिपय तकनीकी पाठ्यक्रम/संकाय अप्रासंगिक रहने के कारण पठन–पाठन बंद किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आलोक में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों/संकायों के लिये शैक्षणिक पदों का सृजन/प्रत्यर्पण किया जाना समीचीन है।

उपरोक्त के आलोक में 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में त्रि–वर्षीय विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम/संकाय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (अधिकत्तम छात्र : शिक्षक=25 : 1) के अनुसार में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन कुल–177 (एक सौ सतहत्तर) शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–6, व्याख्याता–171) का अतिरिक्त सृजन एवं कुल–44 (चौवालीस) शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–04, व्याख्याता–40) का प्रत्यर्पण किया जाना है।

अतएव विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठयक्रमों/संकायों के लिए कुल–177 (एक सौ सतहत्तर) शैक्षणिक पदों (विभागाध्यक्ष–6 एवं व्याख्याता–171) के अतिरिक्त सृजन एवं कुल–44 (चौवालीस) शैक्षणिक पदों (विभागाध्यक्ष–04 एवं व्याख्याता–40) के प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव।

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (AICTE) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 में कतिपय नये तकनीकी पाठ्यक्रम/संकाय में पठन–पाठन प्रारंभ, प्रति वर्ष छात्र–छात्राओं के प्रवेश क्षमता में वृद्धि एवं कतिपय तकनीकी पाठ्यक्रम/संकाय अप्रासंगिक रहने के कारण पठन–पाठन बंद किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आलोक में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों/संकायों के लिये शैक्षणिक पदों का सृजन/प्रत्यर्पण किया जाना समीचीन है।

उपरोक्त के आलोक में 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में चार–वर्षीय विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम/संकाय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (अधिकत्तम छात्र : शिक्षक=20 : 1) के अनुसार में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन कुल–237 (दो सौ सैंतीस) यथा (प्राध्यापक–23, सह–प्राध्यापक–64 एवं सहायक प्राध्यापक–150) अतिरिक्त तकनीकी शैक्षणिक पदों का सृजन तथा 192 (एक सौ बानवे) यथा (प्राध्यापक–04, सह–प्राध्यापक–24 एवं सहायक प्राध्यापक–164) अप्रसांगिक तकनीकी शैक्षणिक पदों का प्रर्त्यपण किया जाना है।

अतएव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदण्ड एवं संवर्ग संरचना के अनुसार विभागान्तर्गत कुल–38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में आवश्यक विभिन्न कोटि के पदों के कुल–237 (दो सौ सैंतीस) यथा (प्राध्यापक–23, सह–प्राध्यापक–64 एवं सहायक प्राध्यापक–150) अतिरिक्त तकनीकी शैक्षणिक पदों का सृजन तथा 192 (एक सौ बानवे) यथा (प्राध्यापक–04, सह–प्राध्यापक–24 एवं सहायक प्राध्यापक–164) अप्रसांगिक तकनीकी शैक्षणिक पदों का प्रर्त्यपण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव।

31

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 19/एम 1–03/2025

प्रेस नोट

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्थानों से नियुक्त अध्यक्ष अथवा सदस्यों का पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभ संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के स्तर से देय होगी। परंतु आयोग में उनके कार्य अवधि के लिए पेंशन एवं उपार्जित अवकाश के अंशदान की राशि आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थान को भेजी जा सकेगी।

(अजय यादव)
सचिव

सं0सं0– 7 / बजट--46–28 / 2025–26

32

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर किये गये घोषणा के क्रम में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में सरकारी प्रक्षेत्र अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और युवाओं को उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

25.8.25

अवर सचिव

संoसंo—14 / विविध—22 / 2025
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ प्रदान की जायेगी।

25/8/2025
(वैभव चौधरी)
अपर सचिव।

E:\Section-14\Vikash\Sanlekh\All India Service\Karyanwan & Press Note.docx 22-08-2025

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। (34)

–: प्रेस नोट :–

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 (समय–समय पर यथासंशोधित) में सिपाही संवर्ग के वेतनमान में, बिहार राज्य के पदक विजेता तथा सहभागिता करने वाले प्रतिभावान/उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु तथा परीक्षण के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाने के लिए बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 के अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई।

हस्ताक्षर– Rajendra 1.9.2025

नाम– डॉ0 बी0 राजेन्दर

पदनाम– सरकार के अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

35

प्रेस नोट

विषयः– "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने के फलस्वरूप अभियोजन संवर्ग के सुदृढ़ीकरण के निमित्त बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि एवं अधीनस्थ संवर्ग के कुल 760 (सात सौ साठ) पदों के सृजन, 18 (अठारह) सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों का विलोपन एवं अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के पदों के पदनामों में परिवर्तन के संबंध में।"

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के पूर्व से स्थापित 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं 12 नवसृजित जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के संचालन हेतु जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य अनुसचिवीय पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

(37)

प्रेस–नोट

विषयः– वर्तमान में बिहार राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों एवं शराब से संबंधित अवैध गतिविधियाँ और कारोबार तथा इससे संबंधित अन्य अपराधों पर गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी कार्रवाई करने में कठिनाई होती है।

अतएव मादक पदार्थों एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई से तथा मद्यनिषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से पृथक कर संयुक्त रुप से ''मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' का गठन करने एवं इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 88(अट्ठासी) नये पदों का सृजन, विभिन्न कोटि के 12(बारह) पदों का संविदा के आधार पर नियोजन एवं पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 229 (दो सौ उनतीस) पदों को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेस नोट

बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता ₹774 (सात सौ चौहत्तर रूपए) प्रत्येक कार्य दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप ₹1,121 (एक हजार एक सौ इक्कीस रूपए) करने का निर्णय लिया गया है, जो आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

"सक्षम बिहार–स्वाबलंबी बिहार" अंतर्गत सात निश्चय– 2 में लक्षित "स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) /लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा राज्य के सभी गांवों को ODF-Plus (संपूर्ण स्वच्छ) एवं इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जानी है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं संचालन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों यथा--अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, बायोगैस संयंत्र इत्यादि के संचालन एवं अनुरक्षण के साथ ही धूसर जल तथा मल युक्त कीचड़ प्रबंधन के क्रियान्वयन तथा निर्मित परिसंपत्तियों के संचालन में सलाहकारों, राज्य सलाहकारों, राज्य वित प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, लेखापाल, जिला स्तर पर जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकारों तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य स्तर पर सभी सलाहकारों, राज्य सलाहकारों, राज्य वित प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, लेखापाल, जिला स्तर पर जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकारों तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयकों के मूल मानदेय में 30 प्रतिशत के वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं ।

मानदेय में वृद्धि उपरांत संशोधित व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद (1%) में अपर्याप्त होने की स्थिति में शेष राशि की पूर्ति राज्य संसाधन से किया जाएगा ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अनुश्रवण, लाभुकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल/लेखा सहायक(ग्रामीण आवास) नियोजित हैं। वर्तमान में 5,730 ग्रामीण आवास सहायक, 430 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक तथा प्रखंड लेखापाल/लेखा सहायक(ग्रामीण आवास) को मिलाकर 346 कर्मी कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवासों की जाँच, लाभुकों को आवास निर्माण हेतु प्रेरित करने सहित अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखंड लेखापाल/लेखा सहायक(ग्रामीण आवास) के मूल मानदेय में 25 प्रतिशत, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मूल मानदेय में 20 प्रतिशत, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी(PMAY-G) के मूल मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि किया गया है। इन कर्मियों सहित प्रोग्रामर एवं कार्यपालक सहायक के नियमित मानदेय भुगतान हेतु योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद में प्राप्त राशि अपर्याप्त होने पर इसे राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

C:\Users\ACER\Desktop\Sanlekh July 2025(3)\Press Note.doc

11/70

(42)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

पूर्व में विभागीय संकल्प सं0–877(1) दिनांक–27.09.2022 के द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/दंत महाविद्यालय/आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी/फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स कर रहे छात्र/छात्राओं को निम्नांकित रूप से छात्रवृत्ति दी जा रही थी–

(क) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इन्टर्न्स–20,000/– प्रतिमाह
(ख) पटना दन्त महाविद्यालय, पटना के इन्टर्न्स –20,000/– प्रतिमाह
(ग) आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी के इन्टर्न्स –20,000/– प्रतिमाह
(घ) फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स –15,000/– प्रतिमाह

अब राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/दंत महाविद्यालय/आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी/विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक के इन्टर्न्स/फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति में निम्नरुपेण बढ़ोत्तरी की गयी है–

(i) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इन्टर्न्स– 27,000/– प्रतिमाह
(ii) पटना दन्त महाविद्यालय, पटना के इन्टर्न्स – 27,000/– प्रतिमाह
(iii) आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी के इन्टर्न्स – 27,000/– प्रतिमाह
(iv) विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक के इन्टर्न्स – 27,000/– प्रतिमाह
(v) फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स – 20,000/– प्रतिमाह

बढ़ी हुई छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप का आर्थिक लाभ संकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा।

इससे संस्थान के सुचारू एवं बेहतर रूप से संचालन तथा मरीजों को उच्चस्तरीय चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

28/8/25

(दिनेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

890(1)
28-8-25

43

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

तकनीकी सहायक एवं लेखापाल– सह–आई०टी० सहायक के विभागीय संकल्प संख्या–4046, दिनांक–25.07.2018 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायक का मासिक मानदेय ₹27,000.00 (सत्ताईस हजार रूपये) मात्र एवं लेखापाल–सह– आई०टी० सहायक का मासिक मानदेय ₹20,000.00 (बीस हजार रूपये) मात्र रूपये निर्धारित की गयी, जो वित्तीय वर्ष 2018–19 से वर्तमान अवधि तक प्रभावी है।

बढ़ी हुई महँगाई, बाजार दर एवं अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय में की गई वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से तकनीकी सहायक को **₹40,000/–** (चालीस हजार रुपये) एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक को **₹30,000/–** (तीस हजार रुपये) मानदेय में वृद्धि किया जा रहा है।

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। प्रेस नोट ।।

राज्य खेल अकादमी–सह–अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में वर्त्तमान में निर्माणाधीन केवल अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबद्धता प्राप्त संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बी.सी.ए.) को रख रखाव एवं संचालन हेतु सौपनें की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आधुनिकतम क्रिकेट स्टेडियम (अवसंरचना) के निर्माण के फलस्वरूप राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो सकेगा। साथ ही साथ इससे राज्य में क्रिकेट प्रतिभा तथा खेल के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उक्त स्टेडियम के निर्माण होने पर क्रिकेट से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। इसके निर्माण होने के उपरांत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के कई क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन होने की संभावना है, जिससे राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा एवं राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

Rajendra

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

"योजना शीर्ष नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजना" के तहत बिहार राज्य के लखीसराय जिला के कार्य प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के अधीन "वंशीपुर पंचायत के बजरंगवली घाट (चाई टोला) रोड पर किउल नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य" की कुल प्राक्कलित राशि 3548.600 लाख रुपया (पैंतीस करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार रुपया) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के लखीसराय जिला के आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

46

प्रेस नोट

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत् कराये गये कार्यों के विरूद्ध सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रांश की प्रत्याशा में सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड–49–4711010510212 के कुल बजटीय उपबंध 200.00 करोड़ रू० (दो सौ करोड़ रुपये) में से केवल बाढ़ 2025 पूर्व कटाव निरोधक कार्य की लंबित राशि 63.43 करोड़ रू० (तिरसठ करोड़ तैंतालीस लाख रुपये) एवं प्रगति यात्रा से संबंधित योजना की राशि 50.00 करोड़ रू० (पचास करोड़ रुपये) अर्थात कुल राशि 113.43 करोड़ रू० (एक सौ तेरह करोड़ तैंतालीस लाख रुपये) का उपयोग एवं निकासी–व्ययन तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्रांश (49–4711–01–051–0209) एवं राज्यांश (49–4711–01–051–0309) के रूप में कुल उपलब्ध बजटीय उपबंध 1893.05 करोड़ रू० (अठारह सौ तिरान्वे करोड़ पाँच लाख रुपये) के विरूद्ध, केन्द्रांश की प्रत्याशा में, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं, जिसमें टाल विकास एवं प्रगति यात्रा से संबंधित परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, के संपादित कार्यों हेतु संयुक्त रूप से कुल 450.00 करोड़ रू० (चार सौ पचास करोड़ रुपये) (केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 के अनुपात में) का उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम अवयव के तहत् वृहद तटबंध निर्माण/उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं टाल विकास आदि कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है। इसी प्रकार सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के तहत् नेपाल प्रभाग में कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है। वर्तमान प्रस्ताव के स्वीकृति के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में योजनाओं को शामिल करने की जटिल प्रक्रिया के कारण केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होगा एवं बाढ़ जैसी आपदा में त्वरित एवं ससमय कार्य पूरा होगा। इससे जान–माल की क्षति को न्यून किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

47

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संचिका संख्या– ग्रा.वि.–10 / बजट–06 / 2025 (खंड–2)

प्रेस नोट

"मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा में वृद्धि होने की स्थिति में 20000.00 करोड़ (बीस हजार करोड़) रूपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गयी है ।

इसकी स्वीकृति से "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसन्द का रोजगार हेतु 10000/– रूपये की राशि उपलब्ध कराया जा सकेगा एवं महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए दो लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

(48)

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद (पारो ब्लॉक) से चंचलिया (सरैया ब्लॉक) तक उच्चस्तरीय पी.एस.सी. बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर मेन पुल (स्पेन 38×60मी०) एवं पंहुच पथ में 3 अदद् (5×30मी०) पी.एस.सी सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹58904.78 लाख (रुपये पांच सौ नवासी करोड़ चार लाख अठहत्तर हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रस्तावित 3–लेन पुल की कुल लंबाई 1730 मी० तथा कुल चौड़ाई 15.55 मी० है। इस पुल के सुपर स्ट्रक्चर में पी.एस.सी. बॉक्स सेल सेगमेंटल कन्सट्रक्शन का प्रावधान है।

यह कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जाएगा।

इस योजना के पूर्ण हो जाने से आम जनता को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस – नोट

ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में देय नियत (मासिक) मानदेय ₹6000 (छः हजार रूपये) को बढ़ाकर दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से ₹9000 (नौ हजार रूपये) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(मनोज कुमार)
सचिव